न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : राजेश कुमार ,आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :— 08 / 2023
जी.सी.एम.एस.संख्या :— 2023 / 18

प्रार्थी बनाम विप्रार्थी

प्रार्थी	विप्रार्थी
धमड़ाराम पुत्र जेसाराम जाति जाट निवासी मूलजी की ढाणी,जानियाना तहसील—पचपदरा व जिला बालोतरा	सरोज कंवर पत्नी भानुप्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी जानियाना हाल निवासी—2101 रेडियों मार्केट मनीहारों का रास्ता जयपुर जिला जयपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1.श्री जूंजाराम पटेल अधिवक्ता प्रार्थी

2.विप्रार्थी एकपीक्षय।

:आदेश :

दिनांक—06.09.24

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी धमंड़ाराम पुत्र जेसाराम जाति जाट निवासी जानियाना तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 638 / 232 क्षेत्रफल 0.7284 हैक्टयर मौजा जानियाना तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 521 / 230 भूमि में से 20 फीट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा बरंग लाल ए से बी कायम करने हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

02. प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी का रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर [illegible] उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार पच[illegible] से [illegible] रिपोर्ट प्राप्त की गई,जो प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:28:36 IST
Reason: SelfAttested

03. तत्पश्चात् प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस [illegible] गई। विद्वान अधिवक्ता दौराने बहस प्रार्थना—पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के आवेदन—पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 521/230 भूमि में से 20 फीट बरंग लाल चौड़ा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता है,प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अन्तः में निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थी को आपति नहीं है। प्रार्थी प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

04. हमने विद्वान प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 521/230 में से 20 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। विप्रार्थी बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली होने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार पचपदरा ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :–

05. ग्राम जानीयाना तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 638/232 क्षेत्रफल 0.7284 हैक्टयर भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 521/230 मे से रकबा 0.5180 बीघा मे से रकबा 0.0445 बीधा बरंग लाल रास्ता भूमि प्रस्तावित की गई हैं तथा प्रस्तावित रास्ता जो कि निकटतम एवं उपयुक्त होना बताकर सार्वजनिक रास्ता घोषित करने की अनुशंषा की गई।

06. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए [illegible] द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर या ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम [illegible] तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:28:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 638/232 में आवागमन हेतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है,अतः उक्त वर्णित धारा 251-क प्रावधानानुसार प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थी द्वारा सिद्व किया गया हैं। विप्रार्थी बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के उपस्थित नहीं हुई है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन स्वीकार किए जाने में उन्हे कोई आपति नही है,क्योकि यदि आपति होती तो उजर-एतराज पेश करते,लेकिन ऐसा विप्रार्थी द्वारा नही किया गया। इस कारण प्रस्तावित रास्ता ही स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत व विधि सम्मत् प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थी का आवेदन-पत्र स्वीकार योग्य है।

7.उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता बरंग लाल खसरा संख्या 521/230 रकबा 0.5180 हैक्टयर की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल. सी.दर-38,698/-प्रति बीधा मे से रकबा 0.0445 बीधा की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल. सी. दर-38.698/-प्रति बीघा के अनुसार प्रतिकर हेतु देय कुल राशि-21276/-रूपये बनती है,जिसको प्रार्थी राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

<u>आदेश</u> :-

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जानियाना तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 638/232 में पहुंच हेतु विप्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 521/230 मे से रकबा 0.0445 हैक्टयर भूमि संलग्न नक्शानुसार बरंग लाल भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 21,276/-(अक्षरे इक्कीस हजार दौ सौ छिहतर) रूपयें की राशि विप्रार्थी को भुगतान की जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पा[illegible] करें। अप्रार्थी प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मय[illegible]कोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी सुनि[illegible] होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:28:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 06·9·2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा